राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः एफ.2(30)नविवि / 3 / 2016पार्ट जयपुर,दिनांकः 23 MAY 201

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मीटिंग नोटिस

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना दिनांक 10.05.2017 को प्रारम्भ हुई थी। यद्वपि इस संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 को जारी कर दिये गये थे। तत्पश्चात् दिनांक 11.05.2017 को माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी। जिसमें नगरीय निकायों के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में विचार कर आवश्यक आदेश / स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन जारी कर दिये गये थे।

दिनांक 16.05.2017 को माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में उक्त योजना की समीक्षा की गई। जिसके अन्तर्गत विभिन्न निकायों द्वारा दिये जाने वाले पट्टे व अन्य कार्यो के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा अभियान मे और अधिक गति लाने के लिए निर्देशित किया गया।

इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नविवि की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2017 को प्रातः 10.30 से 1.30 बजे तक समस्त नगर विकास न्यास के अध्यक्ष / सचिव, अजमेर / जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष / सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेस आयोजित की गयी है। जिसमें निम्न अधिकारीगण शासन सचिवालय स्थित वीडियो कांफ्रेस हॉल में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगें :-

(1) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
(3) संयुक्त शासन सचिव, प्रथम नगरीय विकास विभाग।
(4) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी,नविवि।
(5) मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग।
(6) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।

उक्त वीडियो कॉन्फ्रेसिंग हेतु निम्नांकित एजेण्डा अनुसार विचार-विमर्श किया जाना है:-

1. प्राधिकरण / न्यास द्वारा अभियान के अन्तर्गत अब तक किये गये कार्यो का पूर्ण विवरण।
2. अभियान में आ रही कठिनाईयों तथा उन कठिनाईयों के निराकरण के सुझाव।
3. यदि कठिनाईयों के निराकरण के लिये नियमों में शिथिलता अपेक्षित हो तो आवश्यक सुझाव।
4. अभियान में गति लाने के लिये निकायो के सुझाव।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना की प्रगति की समीक्षा बाबत।
6. बेटी गौरव उद्यान के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा।

23/5/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है—

(1) विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।

(2) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।

(3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

(4) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।

(5) सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण के स्तर पर उक्त योजना हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी की वीडियों कॉन्फ्रिसिंग के समय उपस्थिति सुनिश्चित करावे।

(6) समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास को न्यास स्तर पर उक्त योजना हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी की वीडियों कॉन्फ्रिसिंग के समय उपस्थिति सुनिश्चित करावे।
निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(7) संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(8) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(9) मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(10) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(11) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(12) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(13) केयर टेकर, शासन सचिवालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

(14) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम